न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3309–तीन / 15 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–9–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मनासा जिला नीमच प्रकरण कमांक 5 / अपील / 14–15.

मांगीबाई उर्फ जमनाबाई पिता बोथलालजी माली
निवासी हाड़ी पिपल्या
तहसील मनासा जिला नीमच .... आवेदिका

विरूद्ध

गुलाबसिंह पिता कुशालसिंह जी राजपूत
निवासी हाड़ी पिपल्या
तहसील मनासा जिला नीमच ....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदिका
श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/9/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, मनासा जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार, मनासा के आदेश दिनांक 19–3–12 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, मनासा जिला नीमच के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 5 / अपील / 2014–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभय पक्ष के मध्य व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है, और